

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर

क्रमांक:-प1(1) कार्मिक/निजी चिकि./2010/2457

दिनांक:- 30/01/10

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा कुल देय बिल पर 15 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1.	माहेश्वरी डेन्टल क्लिनिक, 48/103, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।	0141-2785252 3265252
2.	श्री निदान हॉस्पिटल एवं होप फर्टिलिटी सेन्टर, 27, विद्युत नगर-ए, अजमेर रोड, जयपुर।	0141- 2351770
3.	श्री कृष्णा डेन्टल क्लिनिक, (कृष्णा डेन्टल क्लिनिक) श्री सिद्धी विनायक जोधपुर स्वीट होम के पीछे, दुकान नम्बर-4, गहलोत के बंगले के पास, डी.सी.एम. अजमेर रोड, जयपुर।	0141-2290870 98290-90992
4.	डा. विरेन्द्र लेजर एण्ड फ्रेको सर्जरी सेन्टर, 104, श्याम अनुकम्पा, एच.डी.एफ.सी. के सामने, अहिंसा सर्किल, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।	0141-2373725 2373937
5.	जी. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, प्रा.लि. 4, विश्वा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।	0141-2291033 98290-14033
6.	कपूर हॉस्पिटल(आई. सेन्टर), डी-10, जनपथ, शास्त्री नगर, जयपुर।	0141-2303264 2306287
7.	जैन फर्टिलिटी एण्ड मदर केयर हॉस्पिटल, डी-253, हनुमान नगर, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।	0141-2359289 2359290

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ. मंडल, जयपुर।
2. व0 निजी सहायक सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवा. मंडल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राज. आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-..... राज. आवासन मण्डल,
6. सम्बन्धित हॉस्पिटल
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)..... राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित फत्रावली।

9